



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072025-264264
CG-DL-E-02072025-264264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]
No. 187]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2025/ आषाढ़ 9, 1947
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2025/ Ashadha 9, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 जून 2025
मामला सं. - एडी (ओआई) 20/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "4-(ब्रोमोमेथिल)-2'-सायनोबिफिनाइल" जिसे "ब्रोमो ओटीबीएन" के नाम से भी जाना जाता है, के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच शुरूआत

1.फा. सं. 6/23/2025— डीजीटीआर .—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रूप में कहा गया है) के अनुसार, मेसर्स नियोजन केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रूप में भी कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से, चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "4-(ब्रोमोमिथाइल)-2' - सायनोबिफिनाइल" जिसे "ब्रोमो ओटीबीएन" के रूप में जाना जाता है (जिसे इसके बाद

"संबद्ध वस्तु" अथवा विचाराधीन उत्पाद' के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तुओं को भारत में आयात किया जा रहा है, जो काफी समय से काफी मात्रा में पाटित कीमतों पर भारत में आयात की जा रही हैं तथा इससे भारत में घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है तथा उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद "4-(ब्रोमोमेथिल)-2'-सायनोबिफेनिल" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा पीयूसी के रूप में भी कहा गया है) है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार, पीयूसी को "ब्रोमो ओटीबीएन" के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोमो ओटीबीएन एक क्रीम/ ऑफ व्हाइट रंग का पाउडर है, जिसका उपयोग कुछ फार्मास्यूटिकल एपीआई, मुख्य रूप से वाल्सार्टेन, इरबेसर्टन और टेल्मिसर्टन के निर्माण में किया जाता है।
4. संबद्ध वस्तुएं लोसार्टेन, एजिल्सर्टन एस्टर और टेल्मिसर्टन जैसे सार्टन वर्ग की फार्मास्यूटिकल ड्रग के सिंथेसिस में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती हैं। इसका उपयोग अन्य पाइराज़ोलिन और संबंधित व्युत्पन्न के सिंथेसिस में भी किया जाता है। इसके अलावा, हाल ही में सूचित किए गए अध्ययनों में ईएसआई-एमएस/ एमएस तकनीक और थर्मोडायनामिक अध्ययनों का उपयोग करके अन्य सॉल्वेंट्स का उपयोग करके टेल्मिसर्टन में संभावित जीनोटॉक्सिक अशुद्धियों के निर्धारण में संबद्ध वस्तु की भूमिका का संकेत दिया गया है।
5. संबद्ध वस्तु की रासायनिक संरचना में प्रत्येक बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन के साथ एक केंद्रीय बाइफेनाइल कोर होता है। साइनो समूह (-CN) एक बेंजीन रिंग की 2' पोजिशन पर स्थित है, जबकि ब्रोमोमेथिल समूह (-CH₂Br) अन्य बेंजीन रिंग की 4 पोजिशन पर स्थित है। यह व्यवस्था मॉलिक्यूल को इसकी विशिष्टता और प्रतिक्रियाशीलता प्रदान करती है।
6. कथित पाटित वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं को कंपनी से कंपनी और देश से देश में विभिन्न कोडों के तहत आयात किया जा रहा है और अधिकांश आयात 29269000, 29339990, 29332990, 29420090, 29152990 शीर्ष के तहत किए जा रहे हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी जांच में सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
7. हितबद्ध पक्षकार प्रस्तावित उत्पाद दायरे पर अपनी टिप्पणी/ सुझाव प्रदान कर सकते हैं और इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस जांच के उद्देश्य के लिए पीसीएन का सुझाव दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की गई संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से उत्पादित और निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर

उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। प्राधिकारी आवेदक के दृष्टिकोण को नोट करते हैं। अतः वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

9. यह आवेदन चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटित किए गए आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

10. आवेदक द्वारा दायर आवेदन के अनुसार, देश में संबद्ध वस्तुओं के दो और उत्पादक हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि कुल भारतीय उत्पादन में उसका बड़ा हिस्सा शामिल है।

11. उपलब्ध सूचना के आधार पर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन का एक "बड़ा हिस्सा" शामिल है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि उसने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वह चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबद्ध है।

12. उपर्युक्त को देखते हुए और जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. कथित पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि चीन से प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार द्वारा संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

14. अनुलग्नक -1 के पैरा 7 के संदर्भ में, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों से आयात के मामले में, बाजार की अर्थव्यवस्था के तीसरे देश में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए, या इस तरह के तीसरे देश से अन्य देशों से मूल्य, या जहां यह संभव नहीं है, किसी भी अन्य उचित आधार पर भुगतान करना, जो कि किसी भी अन्य उचित आधार पर भुगतान करता है।

15. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वे चीन पीआर के लिए कोई उपयुक्त सरोगेट देश नहीं खोज पाए थे। किसी भी अन्य पर्याप्त जानकारी की अनुपस्थिति में, घरेलू उद्योग ने किसी भी अन्य उचित आधार के तहत सामान्य मूल्य को निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत की जानकारी/आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जो विधिवत समायोजित है।

16. प्राधिकारी ने इस जांच की शुरुआत के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को शामिल करके विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

17. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की गणना याचिकाकर्ता द्वारा निजी स्रोत से प्राप्त किए गए आंकड़ों के साथ-साथ उनकी बाजार आसूचना के आधार पर की जाती है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विचार किया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के लिए कीमतों का समायोजन किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो कि पूर्ण रूप से और भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित किए गए आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, नकदी प्रवाह और लाभप्रदता पर निरंतर नकारात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव और कीमत में गिरावट के प्रभाव के रूप में है। आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों के परिणामस्वरूप लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और क्षमता उपयोग के संबंध में इसके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
20. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस बात के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से पाटित किए गए आयातों के कारण हो रही है।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

21. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ज. जांच की अवधि

22. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से जनवरी 2024-दिसंबर 2024 (12 माह) को जांच की अवधि ("पीओआई") के रूप में माना है। क्षति की अवधि में अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और पीओआई की अवधि शामिल है।

झ. प्रक्रिया

23. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 के तहत बताए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुती

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फॉर्मेट में हो तथा डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों। फ़ाइलों तक पहुंच के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित फॉर्मेट और निर्धारित तरीके से सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर जांच से संबंधित अपने अनुरोध निर्धारित फॉर्मेट और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय पाठ को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।
29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 (4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण का प्रदर्शन करना होगा तथा ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

31. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली उत्तर सहित कोई अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने होंगे। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो प्रत्येक भाग में एक सूचीबद्ध तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें सभी भागों/ ईमेल और संलग्न दस्तावेजों की सामग्री को रेखांकित किया गया हो। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या देना सुनिश्चित करें।
32. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ ठीक से अनुदित पाठ उपलब्ध कराया जाए।
33. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
34. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा रिक्त स्थान दिया गया हो (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए अगोपनीय सारांश का पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए ग्रहणीय नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उसका सारांश संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों का गोपनीय पाठ प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
36. कोई अनुरोध, जो उसके सार्थक अगोपनीयता पाठ के बिना किया गया है अथवा उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किया गया है तो उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
37. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
38. प्राधिकारी संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का गोपनीय पाठ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली उत्तर अथवा अन्य अनुरोध का गोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया

जाना चाहिए और किसी भी मामले में गोपनीय आधार पर अनुरोध दाखिल करने के अगले दिन से बाद नहीं। अनुरोध/ उत्तर/ सूचना का गोपनीय पाठ परिचालित न किए जाने पर हितवद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

40. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितवद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Directorate (General of Trade Remedies))

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2025

Case No. AD (OI) 20/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl” also known as “Bromo OTBN” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/23/2025-DGTR

1. M/s Neogen Chemicals Ltd. (hereinafter referred to as the ‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Rules’), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl” which is also known as “Bromo OTBN” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or the ‘product under consideration’) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’).
2. The applicant has alleged that the subject goods are being imported into India, originating in or exported from the subject country at dumped prices in significant quantities for a prolonged period and is causing material injury to the domestic industry in India and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present case is “4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl” (hereinafter also referred to as “Product under Consideration” or PUC. As per the information

contained in the Application filed by the domestic industry, the PUC is also known as “Bromo OTBN”. Bromo OTBN is a cream / off white colored powder used in the manufacturing of certain pharmaceutical API’s, mainly Valsartan, Irbesartan & Telmisartan.

4. Subject goods act as intermediate in the synthesis of pharmaceutical drugs of sartan class such as Losartan, azilsartan ester and telmisartan. It is also used in the synthesis of other pyrazolines and related derivatives. In addition, recently reported studies have indicated the role of subject goods in the determination of potential genotoxic impurities in telmisartan using ESI-MS/MS technique and other solvents using thermodynamic studies.
5. The chemical structure of the subject goods consists of a central biphenyl core with substituents on each benzene ring. The cyano group (-CN) is located on the 2' position of one benzene ring, while the bromomethyl group (-CH₂Br) is situated on the 4 positions of the other benzene ring. This arrangement gives the molecule its unique properties and reactivity.
6. The alleged dumped goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. The petitioner has submitted that the subject goods are being imported under different codes from company to company and country to country, and majority of the imports are happening under the headings 29269000, 29339990, 29332990, 29420090, 29152990. However, it is noted that in Anti-dumping investigations the customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.
7. The interested parties, can provide their comments/suggestions on the proposed product scope and may suggest PCNs for the purpose of this investigation within 30 days from the date of this notification.

B. LIKE ARTICLE

8. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The Authority notes the view points of the applicant. Hence, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated by the Authority as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

9. The application has been filed in respect of the dumped imports of the product under consideration from China PR.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. As per the application filed by the applicant, there are two more producers of the subject goods in the country. The applicant has claimed that it holds major share in total Indian production.
11. On the basis of information available and after due examination, the Authority notes that

production by the applicant constitutes “a major proportion” of total Indian production. The applicant has certified that it has neither imported the PUC nor is related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR or any importer of the subject goods in India.

12. In view of the above and after examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. BASIS OF ALLEGED DUMPING

i. Normal Value

13. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 of Annexure I to the Rules.
14. In terms of Para 7 of Annexure-1, in case of imports from non-market economy countries, normal value is required to be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.
15. The domestic industry has submitted that they were not able to find any suitable surrogate country for China PR. In the absence of any other sufficient information, the Domestic Industry has proposed to determine the normal value under the clause “any other reasonable basis”. The domestic industry has proposed constructing the normal value taking into account the information/figures of their cost of production, duly adjusted.
16. The Authority has constructed the normal value based on the cost of production of the domestic industry, making due adjustments, in terms of the principles of Annexure-I to the Anti-dumping Rules.

ii. Export price

17. The export price for the subject goods from the subject country is calculated by the petitioner based on the data sourced from private source as well as their market intelligence. However, the Authority has considered DG-systems data for the purpose of present initiation. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

iii. Dumping margin

18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the

Indian market by the exporters from the subject country.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

19. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury taken place as a result of the alleged dumping in the form of an increased volume of dumped imports in absolute terms, continued negative effect on cash flow and profitability, and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of profitability and return on the investment as a result of imports of the product under consideration at an injurious price for the domestic industry.
20. Based on the information on record, the Authority notes that there is sufficient *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.

G. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

21. On the basis of duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry pertaining to dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. PERIOD OF INVESTIGATION

22. The Authority has considered January 2024 –December 2024 (12 Months) as the period of investigation (“POI”) for the purpose of the present investigation. The period of injury covers the periods from April 2021 to March 2022, April 2022 to March 2023, April 2023 to March 2024 and the POI.

I. PROCEDURE

23. The principles as stated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

24. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd15-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in, with a copy to adv11-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.
25. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with

the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a nonconfidential version of the same available to the other parties.

K. TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd15-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@gov.in, with a copy to adv11-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
29. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

30. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response / submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. In case, the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.
32. Where the original documents are in a language other than Hindi and English, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.
33. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and

summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraphs of this initiation notification.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

39. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. The non-confidential version of the questionnaire response or other submissions should preferably be circulated to all other interested parties on the same day and, in no case, later than the day following the filing of submissions on a confidential basis. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

40. In case where an interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority